



संख्या-42/2026/1-1271060/2026/सा0-42/38-2-2026-

002-38-2002-001-6-2023

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 19 मार्च, 2026

विषय- दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ के अधीनस्थ क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थानों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-862/प्रशि०-स्था०-दो-1(251)/2024-25 दिनांक 13 मार्च, 2026 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ के अवशेष अधीनस्थ क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थानों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना किये जाने हेतु वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-06-17-क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थानों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना मानक मद-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और सयंत्र में धनराशि रू० 736.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

लाख (रूपये सात करोड़ छत्तीस लाख मात्र) में से उक्त कार्य हेतु जेम पोर्टल की बिड वैल्यू ₹0 7,09,40,302.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय/अवशेष धनराशि ₹0 3,41,40,302.00 लाख (रूपये तीन करोड़ इकतालीस लाख चालीस हजार तीन सौ दो मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ के अवशेष अधीनस्थ क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थानों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु धनराशि ₹0 736.00 लाख (रूपये सात करोड़ छत्तीस लाख मात्र) में से उक्त कार्य हेतु जेम पोर्टल की बिड वैल्यू ₹0 7,09,40,302.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय/अवशेष धनराशि ₹0 3,41,40,302.00 लाख (रूपये तीन करोड़ इकतालीस लाख चालीस हजार तीन सौ दो मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंधों

- (1) योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।
- (2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ इस बात का ध्यान रखेंगे कि धनराशि स्वीकृत कर सीधे संबंधित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- विभाग/संस्था के बैंक खाते में अंतरित की जायेगी तथा कार्यदायी संस्था को धनराशि नियमानुसार अवमुक्त की जायेगी।
- (4) महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली गयी है तथा निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि निर्विवाद रूप से उपलब्ध है। तदोपरांत ही अनुमोदित लागत के सापेक्ष ही निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।
- (6) योजनांतर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।
- (7) महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और नही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।
- (8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।
- (9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।
- (10) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

- (11) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (12) महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा बचत की मद से पुनः धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
- (13) प्रकरण में अपेक्षित अन्य प्रशासनिक शर्तों के समावेश/निर्धारण का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।
- (14) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,41,40,302 (रुपये तीन करोड़ इकतालीस लाख चालीस हजार तीन सौ दो मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 013 लेखा शीर्षक 4059010510600 17 क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थानों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना मानक मद 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025 /बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या 42/2026/1-1271060/38-2-2026-002-38-2002-001-6-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

- (1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
- (3) आयुक्त, ग्राम्य विकास उ०प्र०, लखनऊ को बजट की समेकित सूचना के अनुश्रवण हेतु।
- (4) नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- (5) जिलाधिकारी, लखनऊ।
- (6) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
- (7) कोषाधिकारी, लखनऊ।
- (8) जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ।
- (9) वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4 /वित्त (बजट) अनुभाग-1 व 2
- (10) ग्राम्य विकास अनु०-5/8
- (11) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
चन्द्रिका प्रसाद
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।